न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 14 / 2025 | दायर दिनांकः 13.01.2025

उनवान

1. संपतबाई पत्नि कन्हैयालाल जाति दांगी नि. गरदनखेडी तहसील पिडावा
2. भेरूलाल पुत्र रामप्रताप जाति दांगी नि. गरदनखेडी तहसील पिडावा

— **प्रार्थीगण**

बनाम

1. छीतरलाल पुत्र रामलाल जाति दांगी नि. गरदनखेडी तहसील पिडावा
2. भेरूलाल पुत्र रामलाल जाति दांगी नि. गरदनखेडी तहसील पिडावा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील पिड़ावा

— **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण :—

अभिभाषक प्रार्थीगण — श्री महेन्द्रसिंह जैन

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 व 2 — श्री नीलकमल त्रिवेदी

अप्रार्थी सं. 3 — पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनाकः 24.12.2025

पत्रावली पेश हुई। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि ग्राम गरदनखेडी प.ह. डोला तहसील पिडावा की आराजी के खसरा नंबर 547 रकबा 0.1012 हे० प्रार्थी नं 1 के नाम दर्ज है तथा ग्राम गरदनखेडी तह. पिड़ावा की आराजी खसरा न 548 रकबा 0.1012 हे० प्रार्थी न. 2 के नाम दर्ज हैं। जिसके सम्बन्ध में नकल जमाबंदी सम्वत 2072—75 पेश है। यह कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 547 व 548 पर जाने आने गाड़ी, ट्रेक्टर सामद आदि का रास्ता अप्रार्थीगण 1 व 2 के खेत खसरा न. 544 की पश्चिम [illegible] होकर दक्षिण से उत्तर की और खसरा नं. 547 तक जाता है व आगे प्रार्थी [illegible] 2 के खेत खसरा नं. 548 तक जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते को [illegible] बल्लीया गाढ़कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:14:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

घासफूस की टापरी बनाकर रोक दिया जिससे प्रार्थीगण की आराजी पर जाने आने का रास्ता बंद हो गया। यह कि प्राधीगण अपनी आराजीयात पर गांव गरदनखेड़ी से आ रहे रास्ते से लगी हुई चाह बावड़ी खसरा नं. 315 से पानी पिलाने के लिए अप्रार्थीगण आराजी खसरा नं. 544 वो पश्चिमी मेढ़ पर होकर पानी निकालने का घोरा बना हुआ था। उससे प्रार्थीगण अपने खेत सिंचित करते थे। परन्तु अब बावड़ी में पानी नहीं होने से घोरा बंद हो गया है। गांव से निकलकर अप्रार्थीगण भी इसी रास्ते से अपनी आराजी पर आते जाते है। जहां आम रास्ता समाप्त होता है तथा अप्रार्थी की आराजी प्रारम्भ होती है। वहां अप्रार्थीगण ने मवेशी से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए लोहे की टांटी लगा दी तथा आगे खसरा नं 544 के पश्चिमी मेड पर जहां प्रार्थीगण का रास्ता रहा है टापरी बना ली। जिससे प्रार्थीगण का रास्ता रुक गया। यह प्रार्थीगण की आराजी पर जाने आने का हमेशा का रास्ता रहा है। इसके अलावा प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं. 547 व 548 पर जाने आने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। खसरा न. 544 हमेशा से पडत है। यह कि प्राधीगण की आराजी खन. 547 व 548 पर जाने आने का राजस्व रेकार्ड में कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है। ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता है। इस कारण प्रार्थीगण को उक्त रास्ते के सम्बन्ध में प्रार्थीगण की आवश्यकता अत्यन्त आवश्यकता है। यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं। [The necessity is absolute necessity and is not for mere convenien enjoyment of Holding) अप्रार्थीगण के द्वारा प्राथीगण का रास्ता रोक देने से प्राथीगण की आराजी खसरा न. 547 व 548 पर जाने–आने की परेशानी खड़ी हो गयी है। यह कि प्रार्थीगण को अपनी आतजीयात पर जाने आने के लिए 12 फिट चौड़ाई में रास्ते की आवश्यकता है जिससे प्रार्थीगण अपने ट्रेक्टर, मशीन, कृषि सामान इत्यादि लाने–ले जाने में उपयोग हो सके। यह कि खसरा नं. 547 पहले शिवनारायण पुत्र धूला जी के नाम दर्ज था तथा उक्त रास्ते के स[illegible]णा के लिए दीवानी वाद शिवनारायण बनाम राम[illegible] सिविल न्यायाधीश पिडावा में चला जिसे मौके [illegible] नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया था। इस कारण यह प्राथनापत्र धारा 251ए आर.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:14:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

टी एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले में प्रतिकर के रूप में निर्धारित मुआवजा राशि नियमानुसार भुगतान करने के लिए तैयार है। यह कि प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत है। अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्राथर्थीगण की आराजी ग्राम गरदनखेड़ी पह डोला तहसील पिडावा के खसरा नंबर 547 रकबा 0.1012 हे० तथा खसरा नं. 548 पर जाने आनं, ट्रेक्टर, मशीन, कृषि सामान इत्यादि लाने–ले जाने के लिए 12 फिट चौड़ाई का रास्ता अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 544 के पश्चिम में होकर दक्षिण से उत्तर रास्ता स्वीकृत किया जायें। रास्ता भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जायें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 1 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 2 अस्वीकार है क्योकि प्रार्थीगण का रास्ता अप्रार्थीगण की आराजी में से होकर कभी–भी नहीं रहा है इन्ही खसरा नम्बरान 547, 548 के रास्ते के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय पिड़ावा में वाद पेश किया था जिसका वाद क्रमांक 09/2016 बउनवान शिवनारायण बनाम रामलाल के उनवान से पेश किया था जो सिविल न्यायालय द्वारा खारीज किया जा चुका है और अब अप्रार्थीगण द्वारा नये उनवान से इन्ही खसरा नं. 547, 548 के लिए रास्ते के सम्बन्ध में यह प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है जो खारीज होने योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 3 अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थीगण का रास्ता अप्रार्थीगण के यहां से कभी–भी नहीं रहा है और अभी तक भी कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण जहां से रास्ता मांग रहे है उस स्थान पर बरसी पुरानी घास भरने की टापरी बनी हुई है तथा ट्युबवेल बनी लगी हुई है और जानवरों को पानी पिलाने की खोल बनी हुई है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 4 अस्वीकार है क्योकि अप्रार्थीगण की ओर कोई रास्ता मौजूद नहीं है इससे ही प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 5 अस्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:14:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 6 अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 7 अस्वीकार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।

3. अप्रार्थी सं. 3 पैरोकार सरकार तहसीलदार पिडावा से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार पिडावा द्वारा अपने पत्र कमांक 219 दिनांक 27.02.2025 से जांच रिपोर्ट पेश की। ततपश्चात इस न्यायालय के आदेश क्रमांक 703/राजस्व/25 दिनांक 12.06.2025 से तहसीलदार पिडावा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार पिडावा पत्रांक 710/रीडर/2025 दिनांक 16.07.2025 से उभयपक्षकारान कन्हैयालाल पिता शिवनारायण सम्पतबाई वगै० छीतरलाल पुत्र रामलाल की उपस्थिति में मौका कमिश्नर रिपोर्ट पेश की जिसके अनुसार– उभयपक्षकारान की उपस्थिति में ख. न. 544 व 547 का सीमांकन मुताबिक नजरी नक्शा किया गया दोनो पक्षो में सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं है। ख.न. 539 से लेकर उत्तरी मेड के सहारे प्रचलित रास्ता बना हुआ है ख.न. 539 तक कृर्षि उपकरण ले जाने हेतु प्रचलित रास्ता बना हुआ है। ख.नं. 544, 540 व 543 पहुंच हेतु ख.न. 544 की दक्षिणी मेड के सहारे और ख.न. 539 की उत्तरी मेड के सहारे दो रास्ते बने हुए हैं ख. न. 639 वाले रास्ते पर 544 के खातेदार ने अपनी सीमा पर लोहे के गेट लगाए हुये हे। मौके पर ख.न. 544 व 543 आपस में मिले हुए है। प्रार्थी इन दोनो रास्तों से ख.न. 544, 540 व 543 पे आ सकता है वर्तमान में ख.न. 544, 540 और 543 के खातेदार ख.नं. 544 की दक्षिणी मेड पर बने रास्ते को इस्तेमाल करते हैं ख.न. 539 के रास्ते पर ख.न. 544 के खातेदार ने लोहे का गेट लगाकर बन्द किया हुआ है। ख.न. 545 की दक्षिणी मेड के सहारे सहारे 544 तक रास्ता बना हुआ है। जो ख.न. 539 की उत्तरी मेड के सहारे बना हुआ रास्ता ही है। यानि दोनो एक ही रास्ता है। [illegible]त टीम द्वारा बाद सीमाज्ञान पालना रिर्पोट तैयार कर श्रीमान की सेवा [illegible] प्रेषित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:14:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

4. प्रार्थीगण की ओर से ग्राम गरदनखेडी तहसील पिडावा का खाता सं. 369, 170, 46 की जमाबंदी सं. 2072–75, खसरा गिरदावरी सं. 2081, दिनांक 16.02.2016 को उपखण्ड अधिकारी पिडावा को पेश प्रार्थना पत्र की छायाप्रति. नक्शा दिनांक 09.12.2024, फोटोग्राफस, पेश किये।

5. अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से सिविल न्यायालय पिडावा का प्रकरण सं. 09/2016 शिवनारायण बनाम रामलाल वगै. का डिक्री व आदेश दिनांक 26.11.2024 पेश की।

6. प्रकरण में तहसीलदार पिडावा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौके की रिपोर्ट तलब की गई। मौका कमिश्नर तहसीलदार पिडावा द्वारा की ओर से पत्रांक रीडर/2025/710 दिनांक 16.07.2025 से मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश की।

7. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि ग्राम गरदनखेडी तहसील पिडावा में स्थित प्रार्थीगण के खाते व कब्जे की आराजी ख.नं. 547 व 548 तक पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण अपने हिस्से तक पहूँचने के लिए वर्षो से ग्राम गरदनखेडी की आबादी भूमि ख.नं. 316 में होकर बने पक्के रास्ते से होकर ख.नं. 545 व 539 की मध्य मेड से बने करीब 40–50 फीट लम्बे रास्ते से होकर अप्रार्थीगण के ख.नं. 544 की दक्षिण पश्चिमी कोने से होकर पश्चिम मेड के सहारे उत्तर की ओर ख.नं. 547 तक पहँचते आये है लेकिन विगत 3–4 सालो से अप्रार्थीगण द्वारा उक्त अस्थाई रास्ते को बंद कर दिये जाने से वर्तमान में प्रार्थीगण की भूमि पर पहूँच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं होने से मजबूरन भूमि पडत पडी हुई है जिससे प्रार्थीगण के लिए भरण पोषण की दिक्कते उत्पन्न हो रही है। तहसीलदार पिडावा द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दि[illegible] 27[illegible]2025 एवं दिनांक 16.07.2025 में अंकित किया है कि प्रार्थीगण की आरा[illegible]क कृषि कार्य हेतु कृषि उपकरण यथा ट्रेक्टर, थ्रेशर, हल, फसल कटाई में [illegible] आदि लाने ले जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:14:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

के लिए ना तो रिकार्डेड रास्ता है और ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता है। वर्ष 2015 से प्रार्थीगण का रास्ते के अभाव में आना जाना बंद है और मजबूरन पडौसी खातेदार श्यामलाल पि. बापूलाल दांगी को बटाई एवं पांति पर देना पड रहा है। तहसीलदार पिडावा ने ख.नं. 539 की उत्तरी मेड से होकर अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 544 की पश्चिम मेड से होकर ख.नं. 547 तक रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया है। अतः रास्ता प्रार्थीगण की नितान्त आवश्यकता है। प्रार्थीगण सुविधा के लिए रास्ता नहीं ले रहे है। अभिभाषक प्रार्थीगण ने आगे कथन किया कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की निजी भूमि से दिए जाने वाले रास्ते की क्षतिपूर्ति राशि का भी नियम अनुसार भुगतान करने के लिए तत्तपर है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपनी आराजी तक पहूँच हेतु अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 544 की पश्चिम मेड के सहारे कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु 12 फीट चौडा नया रास्ता प्रदान किया जावे।

8. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा उक्त बहस का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 547 तक पहूँच हेतु अप्रार्थीगण के खाते व कब्जे की भूमि ख.नं. 544 की पश्चिम मेड से होकर पहूँच हेतु कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। प्रार्थीगण अपनी आराजी पर पहूँच हेतु वैकल्पिक रास्ता के रूप में ग्राम गरदनखेडी की मुख्य सडक से होकर ख.नं. 1032/554 व 550 की पश्चिम मेड से होकर ख.नं. 547 तक पहूँचते आ रहे है। प्रार्थीगण मुख्य सडक से ख.नं. 555 व 549 की पश्चिम मेड के सहारे भी रास्ता लेकर ख.नं. 547 व 548 तक पहूँच सकते है। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने आगे तर्क किया कि प्रार्थीगण अपनी सुविधा के लिए व अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए ख.नं. 544 से सुविधाजनक रास्ता चाहते है जो धारा 251 ए आर.टी.एक्ट में देय नहीं है। आगे तर्क किया गया कि अप्रार्थीगण ने ख.नं. 544 में अपना मकान बना रखा है और ख.नं. 544 की पश्चिम मेड़ के सहारे जानवरो को बांधने के लिए करीब 50 गुणा 30 फीट मे टीनशेड बना रखी है [illegible] 547 के तरफ की जानवरो को पानी पिलाने के लिए पानी की खेल बना [illegible] है। यदि न्यायालय अप्रार्थीगण के ख.नं. 544 की पश्चिम मेड से होकर प्रार्थीगण को रास्ता देती है

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:14:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तो अप्रार्थीगण के पशुओ के टीनशेड एवं पानी की पक्की ढेल को तोडना पडेगा जो कि गलत है। आगे तर्क किया कि ख.नं. 539 की उत्तरी मेड के सहारे जो 40 फीट लम्बा व 20 फीट चौडा जो रास्ता बना हुआ है वह ख.नं. 545 व 539 के खातेदारो ने अपने निजी उपयोग के लिए बना रखा है। प्रार्थीगण ने उनको प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। अतः प्रार्थीगण की भूमि तक पहूँच हेतु मौके पर ख.नं. 1032/554 व 550 की पश्चिम मेड के सहारे वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने और मौके पर चालू होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे। आगे तर्क किया कि प्रार्थीगण द्वारा सिविल कोर्ट पिडावा में भी रास्ते के सुखाधिकार के लिए सिविल वाद सं. 9/2016 पेश किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा निर्णिय दिनांक 26.11.2024 खारीज किया जा चुका है।

9. पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि प्रार्थीगण के ख.न. 547 व 548 तक पहुंचने हेतु कोई रिकॉडेड रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण वर्तमान में अपनी आराजी पर पहूँच हेतु अस्थाई रूप से ख.नं. 551, 550 की मध्य मेड से होकर ख.नं. 552 की पूर्वी मेड के सहारे आ जा रहे है। प्रार्थीगण को पहूँच हेतु रास्ते की आवश्यकता है। रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण की भूमि को अन्य खातेदारो को पांति पर दे रखा है।

10. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 251 क आर.टी.एक्ट. के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो के पालना जरूरी है:–

<u>(i)</u> **<u>रिकार्डेड पहूँच मार्ग</u>** –प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार तीनो इस कथन पर सहमत है कि प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 547 व 548 तक पहूँच हेतु राजस्व रिकार्ड में कोइ भी पहूँच मार्ग दर्ज नहीं है। प्रार्थी की आराजी के चारो ओर निजी खातेदारी की भूमियां है। ग्राम गरदनखेडी तहसील पिडावा के नजरी नक्शा व लटठा नक्शे के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थीगण की भूमि पर पहूँच हेतु कोई भी रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। **अतः साबित है कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:14:26 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(ii) <u>**वैकल्पिक रास्ता होना**</u> – अभिभाषक प्रार्थीगण का कथन है कि उसकी आराजी पर पहूँच हेतु वर्तमान में कोई भी वैकल्पिक प्रचलित रास्ता उपलब्ध नहीं है और जो अस्थाई पहूँच मार्ग ख.नं. 539 की उत्तरी मेड से होकर अप्रार्थीगण के ख.नं. 544 की पश्चिम मेड के सहारे बना हुआ था उसे अप्रार्थीगण द्वारा बंद कर जानवरो का बाडा बना दिया है। अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहूँच हेतु सनातनी वैकल्पिक रास्ता मुख्य सडक से होकर बावडी के सहारे ख.नं. 552 व 1032/552 की मध्य मेड से होकर ख.नं. 551 व 550 की मध्य मेड से होकर बने अस्थाई रास्ते का वर्षो से इसका उपयोग करते आ रहे है लेकिन केवल अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए ही अप्रार्थीगण के ख.नं. 544 से होकर रास्ता चाहते है।

वादग्रस्त आराजी का अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा मय पटवारी हल्का मौका निरीक्षण किया। ख.नं. 539 व 545 की मध्य मेड से करीब 10–15 फीट चौडा रास्ता बना हुआ है जिस पर ख.नं. 544 के अप्रार्थीगण द्वारा लोहे का गेट लगा रखा है और मौके पर स्पष्टतः चालू है **लेकिन ख.नं. 544 की पश्चिम मेड के सहारे अप्रार्थीगण द्वारा टीनशेड लगा कर पशुशेड बना रखा है और ख.नं. 547 की मेड के नजदीक पशुओ के लिए पानी की पक्की खेल भी बना रखी है। ख.नं. 544 में अप्रार्थीगण द्वारा अपना मकान बनाकर निवासरत है। यहां होकर रास्ता दिये जाने की स्थिति में अप्रार्थीगण की पशुशेड एवं पानी की खेल को तोडना पडेगा।** भवानीमण्डी रोड से ग्राम गरदनखेडी को जाने वाली मुख्य सडक ख.नं. 553, 554, 555, 556, 587 आदि की उत्तर मेड से होकर गुजर रही है। ख.नं. 553 पानी की बावडी है जिसके पास से होकर ख.नं. 552 व 1032/554 की मेड से होकर ख.नं. 551 व 550 की मध्य मेड से होता हुआ प्रार्थीगण के ख.नं. 547 तक अस्थाई कच्चा रास्ता बना हुआ है और प्रार्थीगण यही से कार्य व्यवस्तार्थ खेत पर पहूँचते है। प्रार्थीगण [illegible] उक्त खातेदारो द्वारा इस अस्थाई वैकल्पिक रास्ते से निकलने से रोकने के संबंध में कोई [illegible] नहीं किया है। प्रार्थीगण ख.नं. 555 व 549 की पश्चिम मेड के सहारे भी नया पहूँच मार्ग

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:14:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

विधिक प्रकिया से ले सकते है। **अतः प्रार्थीगण की आराजी तक पहूँच हेतु अस्थाई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है।**

<u>(iii)</u> **<u>रास्ते की अति आवश्यकता होना</u>– उपरोक्त बिन्दू सं. 1 व 2 के** विवेचन एवं विश्लेषण से यह साबित है कि प्रार्थीगण की आराजी तक पहूँच हेतु कोई राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ता नहीं है लेकिन अस्थाई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। यह सही है कि प्रत्येक काश्तकार को अपने खेत में फसल काश्त हेतु आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता होती है। रास्ते के अभाव में या किसी व्यक्ति द्वारा रास्ते को अवरूद्ध कर दिये जाने से आराजी के पडत रहने से काश्तकार के लिए भरण पोषण का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विधायिका द्वारा एक्ट में धारा 251 ए जोडी गई है **लेकिन किसी व्यक्ति/खातेदार के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने पर भी नये रास्ते देने को सुविधा के लिए रास्ता प्रदान करना माना जावेगा। अतः साबित होता है कि प्रार्थीगण को अपने खेत पर आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रिकार्डेड रास्ते की आवश्यकता है।**

<u>(iv)</u> **डी0एल0सी0 की दुगनी दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतानः**–प्रार्थीगण अपनी आराजी तक पहूँच हेतु रास्ता दिये जाने पर डीएलसी की दुगुनी दरो से क्षतिपूर्ति हेतु सहमत है।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेशण, तहसीलदार पिडावा के जवाब प्रार्थना पत्र मय नजरी नक्शा दिनांक 27.02.2025 एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 16.07.2025 के अनुसार ग्राम गरदनखेडी तहसील पिडावा की प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 547 व 548 तक पहूँच हेतु अप्रार्थी के ख.न. [illegible] शेड एवं पानी की पक्की खेल बना होने) से नया रास्ता [illegible] जाने के [illegible] में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट. [illegible] अस्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:14:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

13

—::क्रियात्मक आदेश ::—

12. परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर. टी.एक्ट. खारीज किया जाता है। यदि पैरा सं. 10(ii) में उल्लेखित अस्थाई वैकल्पिक रास्ता बंद होने की स्थिति में प्रार्थीगण मुख्य सडक से नये रास्ते हेतु संबंधित खातेदारो को पक्षकार बनाकर नवीन रास्ते हेतु नया प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु स्वतंत्र होगे।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/12/25

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड राज0
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:14:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner